प्रेस नोट **15/03/2024**

<u>ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध अभियुक्त को 12 वर्ष की कठोर कारावास व ₹50,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश(बाल न्यायालय) एवं अपर सत्र न्यायाधीश जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 15-03-2024 को, मु0अ0सं0 243/2020 धारा 376,504,506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना रानीपुर में दोषसिद्ध अभियुक्त परमहंस चौहान पुत्र हरिनाथ चौहान निवासी चैनपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं ₹50,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री प्रवीण मिश्रा प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी अमित सेन सिंह थाना रानीपुर का सराहनीय योगदान रहा।

एक वांछित अभियुक्त तथा 06 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 15.03.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मधुबन पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर परशुरामपुर गेट के पास से मु0अ0सं0 48/24 धारा 376(3) 506 भादवि व धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गोरख सोनकर पुत्र सवरू सोनकर निवासी परशुरामपुर थाना मधुबन जनपद मऊ व जनपद रानीपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण संतोष चौहान पुत्र वंशी चौहान, लल्लन चौहान पुत्र खेलावन, लालचन्द पुत्र नरायण, महेन्द्र पुत्र पुजन निवासीगण मनसडी थाना रानीपुर व थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण रामहरख यादव पुत्र झुनखुन, अजय यादव पुत्र झुनखुन निवासीगण पलिगढ़ थाना सरायलखन्सी तथा कोतवाली पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त रामनाथ सिंह पुत्र कमला सिंह निवासी परदहां थाना कोतवाली जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।